



राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(5)नविवि / 2021

जयपुर, दिनांक: 4 AUG 2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 19.08.2021 में संशोधन करते हुए रूपबास के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये गये राजस्व ग्रामों की सूची में से निम्नलिखित एक राजस्व ग्राम को पूर्ण रूप से विलोपित किया जाता है :-

विलोपित किये जाने वाले राजस्व ग्राम का नाम

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम हिन्दी में	राजस्व ग्राम का नाम अंग्रेजी में
1.	नगला जरैला	Nagla Jarela

राज्यपाल की आज्ञा से

(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, भरतपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर) राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
10. उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर।
11. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रूपबास।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. रक्षित पत्रालवी।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय